सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 15 फाल्गुन, 1944 (श०)
06 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1)	सामान्य प्रशासन विभाग - -	01
(2)	गृह विभाग - -	01
	कुल योग --	02

PAR (Performacne Appraisal Report) सिस्टम को समाप्त करना

27. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रुप-सी से लेकर ग्रुप-ए तक के कर्मियों के लिए PAR (Performance Appraisal Report) सिस्टम लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि PAR में Good, Very Good और Excellent मिलने के बाद ही किसी कर्मी को प्रोन्नति अथवा MACP योजना का वित्तीय लाभ मिल सकता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त 30 अप्रील, तक PAR लिखा जाना चाहिये, परंतु वर्षों तक PAR नहीं लिखे जाने के कारण कर्मियों का दोहन किया जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार PAR (Performance Appraisal Report) सिस्टम को समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप में स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या 7444, दिनांक 30 अप्रील, 1979 द्वारा राज्य सेवा के पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के अभिलेखन के संदर्भ में विस्तृत प्रावधान किया गया था । इस क्रम में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या 12981, दिनांक 3 दिसम्बर, 2009 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 4558, दिनांक 27 मार्च, 2012 द्वारा क्रमशः बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिये वर्ष 2010-11 से तथा बिहार सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों/कर्मियों के लिये के वर्ष 2011-12 से PAR (Performance Appraisal Report) सिस्टम लागू किया गया है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप में स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधान के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 922, दिनांक 30 मार्च, 2011 द्वारा रुपया 6,600 तक के ग्रेड वेतनों में प्रोन्नति/एम0ए0सी0पी0 दिये जाने हेतु वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/PAR में अभ्युक्ति कम-से-कम 'अच्छा' तथा रुपया 7,600 एवं उसके ऊपर के ग्रेड वेतनों में प्रोन्नति/एम0ए0सी0पी0 दिये जाने हेतु वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/PAR में अभ्युक्ति कम-से-कम 'बहुत अच्छा' होने का निदेश परिचारित है ।

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि PAR अभिलेखन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के Online PAR अभिलेखन की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 16389, दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 द्वारा वर्ष 2018-19 से की गई है एवं इसी क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 1781, दिनांक 24 जनवरी, 2023 द्वारा राज्य सरकार के सभी सेवाओं के ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B' श्रेणी के पदाधिकारियों/कर्मियों के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 से SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System में Online PAR लिखे जाने की व्यवस्था करने का निदेश परिचारित किया गया है ।

(4) उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है ।

कार्रवाई करना

'क'-28. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''चरित्र प्रमाण-पत्र के 50 प्रतिशत मामले लम्बित अपील की मिलेगी सुविधा'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2022 में 10 लाख 98 हजार चरित्र प्रमाण-पत्र का आवेदन आया था, जिसमें मात्र 50 फीसदी ही स्वीकृत हुआ और शेष आवेदन कई माह से अभौतक लम्बित है और एक लाख आवेदन निरस्त भी हो गया है, जिसके कारण युवा वर्ग नौकरी के लिये आवेदन करने से वंचित रह गया है, जबकि सात दिनों में आवेदक को चरित्र प्रमाण-पत्र देने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो क्या सरकार चरित्र प्रमाण-पत्र ससमय स्वीकृत कराने और अकारण विलम्ब करने वाले दोषी कर्मचारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 128, दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा गृह विभाग में स्थानांतरित ।

पटना :
दिनांक 6 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 78(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550